

भूयनेश कुमार,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

द्वारा दी

जिलाधिकारी,

औरेया, गोण्डा, इटावा, आजमगढ़, इलाहाबाद, भावस्ती, हरदोई, रायबरेली, बलिया, गोरखपुर,

भुजलतालपुर, भैनपुरी, भिर्जापुर, हामुड, मुरादाबाद, संतकरी, लगार, कल्लीज, लखनऊ, शामती अधिकारी।  
विद्यालयिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुसारा लखनऊ दिनांक ०५ फरवरी, २०१५

प्रियवाचन-प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में।

उल्लेख,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विहीन संलग्न सूची में अंकित तहसीलों/विकास खण्डों में कम एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का में दिल्लित्वांक लिया गया है। उक्त तहसीलों/विकास खण्डों में अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, विद्युति, पानी आदि के हावान संलग्न सूची में उत्तमता वर्णित तहसील के मुख्यालय एवं जिन तहसीलों के विकास खण्ड उल्लिखित किये गये हैं, उनमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन जिसमें हेल्प मानक के अनुसार ०२ से ०५ एकड़ लाखीं रुपयों और अधिक लाखीं रुपयों के अनुसार ०० लाखीं रुपयों तक विकास खण्ड का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तहसील मुख्यालय पर भवित्व उपलब्धता न हो एवं एवं की स्थिति में उस तहसील विकास खण्ड के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय के विनाशों विकास खण्ड से भवित्व की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जूम आवादी से दूर न हो, जिससे प्रशिक्षणों को आने-जाने में असुविधा न हो।

उल्लेख सूची के क्रमांक १७, १८, १९, २०, २१ पर उल्लिखित तहसीलों में स्थापित किये जाने वाले भवनों के लिए भवित्व का विनाशीलता भवित्व इस बात का अतिवार्य रूप से पालन किया जाय कि उपलब्धता के अनुसार भवित्व की जावादी बहुत बड़ी समझ की जी हो ताकि उपलब्धता के नवाचालन को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

अतः उल्लेख तहसीलों/विकास खण्डों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु अद्वितीय कार्यालयों एवं मानक के अनुसार भवित्व की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर उनकी घूसना शासन अधिकारी के अनुसार एवं भवित्व कराने का कार्यालय बनाया जाय। उत्तर प्रदेश लखनऊ को ०१ जानवाह के अन्दर उपलब्ध कराने का कार्यालय बनाया जाय।

भवदीय,

(भूयनेश कुमार)

सचिव।

लखनऊ-०१, उत्तर प्रदेश, दिनांक ०५ फरवरी २०१५ अंकिता

निदेशक, प्रशिक्षण एवं संवादोंजन एवं प्रदेश सम्बन्ध के इस निषेद को साथ प्रेषित की सलग्न सूची में अंकित तहसीलों विविध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के इस निदेश भवित्व की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उपलब्धता के अनुसार एवं सभी कारीगरी एवं इन कारोबारों के सामने उपलब्धता कराने का कार्यालय बनाया जाय।

आजा मे

२५/२/२०१५  
(अमिता भोवास्तव)  
विशेष सचिव।

संख्या-655(2)/89-व्यावरिशील एवं वैदिकीय-2015-01(एसएनडी) 2013 दिनांक 09 अगस्त, 2015

क्रमांक	जनपद का नाम	तहसील/ब्लॉक का नाम
1	2	1
1	अरौया	सदर
2	गोण्डा	करबलेलगज (विकास खण्ड-परसपर)
3	इटावा	ताला
4	आजगढ़गढ़	गेहूलगज
5	इलाहाबाद	सोमव
6	पायस्ती	दुकाली
7	सरटाई	पुराणा
8	पायदाली	बुरगाया (विकास खण्ड-परसपर)
9	तालिया	वांसडी
10	गोरखपुर	सहजनदी
11	गुलतानपुर	लम्भवा
12	मेनपुरी	भीगांव
13	गिरीषपुर	जारविकास खण्ड-जमालपुर
14	कल्लोज	विकास खण्ड-सीरिया
15	लखनऊ	सदर (फिल्हालगज)
16	लाल	विकास खण्ड-शाजमाली
17	लाल	धौलिलगज
18	मुरागाबाद	ठाकुरदाम
19	मुरीरत्नगर	छत्तीलगाड़
20	कु	घोसी

(अनिता श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव।